राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 25/2022 किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0 रघुनाथपुरा बनाम श्री लक्ष्मण पुत्र श्री कालू

जाति जाट नि. रघुनाथपुरा

निर्णय दिनांकः– 09.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम रघुनाथपुरा के आराजी खसरा नंबर 177 किस्म गै.मु.पाल रक़बा 0.0409 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ लगाकर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी गैर हाजिर। अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश करना नही चाहा । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जाकर अप्रार्थीगण को अतिकमी घोषित करते हुए मामला निर्णीत जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी खसरा नंबर 177 किस्म गै.मु.पाल रकबा 0.0409 हैक्टेयर से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.15 का 50 गुणा 8/–रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं. ... 23 पर रु. 8/- ... कायमी की गई। 22/9/22
तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार
रूपनगढ(अजमेर)

Scanned by CamScanner